परिचय

निर्भीक
निश्चल न्यौछावर
निरन्तर बढ़ते चले
चलें बढ़ते ही चले
चले जज्बा जीत का लिये
आसमान को छू लें।

उत्तराखण्ड, के विकास में जिन क्षेत्रों की मुख्य भूमिका मानी जाती है उनमें ऊर्जा क्षेत्र, पर्यटन, वनसम्पदा आदि क्षेत्र प्रमुख है। कौशल विकास के क्षेत्र में भी अपार संम्भावना इस राज्य की साक्षर दर को देखते हुऐ समझी जा सकती है जिसमें खेलों का विकास विशेष रूप से यहाँ की भौगोलिक स्थितियों के अनुकूल दृष्टिगोचर होता है। राज्य की आधी जनसंख्या पर्वतीय तथा शेष आधी जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है, आडम्बर रहित जीवन शैली तथा स्वच्छ वातावरण एवं विषम तथा प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों व पर्यावरण के कारण यहाँ के निवासी शारीरिक रूप से सुदृढ़ है। उत्तराखण्ड के बालकों की विशेष शारीरिक क्षमता को दृष्टिगत रखते हुऐ उत्तराखण्ड क्षेत्र में तत्कालीन उ0 प्र0 सरकार ने वर्ष 1993 में खेलों की उच्चस्तरीय सुविधाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना की गई थी। प्रारम्भ में 10 वर्ष से 12 वर्ष की आयु वाले शारीरिक रूप से मजबूत कदकाठी वाले व खेलों में प्रतिभावान बालकों का चयन कर फुटबाल, एथलेटिक्स, बाक्सिंग एवं वालीबाल चार खेलों से सम्बन्धित खेल सुविधाओं का विकास कर, वैज्ञानिक विधि से बालकों को खेल प्रशिक्षण दिया जाना प्रारम्भ किया गया।

09 नवम्बर 2000 में उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के साथ ही महाराणा स्पोर्ट्स कालेज का राज्य के प्रथम र्स्पोट्स कालेज के रूप में उदय हुआ। राज्य का प्रथम स्पोर्ट्स कालेज होने के कारण राज्य की विभिन्न सरकारों द्वारा समय–समय पर खेल अवस्थापनाओं विकास के अर्न्तगत उच्चस्तरीय खेल सुविधाओं का विकास महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज परिसर में किया गया। इसी क्रम में 2006 से अन्य दो लोकप्रिय खेल क्रिकेट तथा हॉकी में प्रशिक्षण की सुविधाओं का विकास कर बालकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया गया तथा वर्ष 2015 से बैडमिन्टन, वर्ष 2017 में टेबल टेनिस व जूडो तथा वर्ष 2018 में शूटिंग खेल को भी प्रशिक्षण हेतु सम्मिलित किया गया इस प्रकार से वर्तमान में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज में कुल दस खेलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

खेल सुविधाओं के क्षेत्र में उच्चस्तरीय खेल सुविधाओं से र्स्पोट्स कालेज परिसर सुसज्जित है जिसमें हॉकी सिन्थेटिक टर्फ, सिन्थेटिक एथलेटिक ट्रैक, बैडमिन्टन हॉल, बाक्सिंग हॉल, फुटबाल मैदान, क्रिकेट मैदान, वालीबाल कोर्ट एरीना, जिम्नेजियम आदि प्रमुख है।

खेल सुविधाओं में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के नवनिर्मित बहुद्देशीय इन्डोर हॉल जिसमें वालीवाल कोर्ट, बास्केट बाल कोर्ट, बैडमिन्टन कोर्ट, टेबिल टेनिस एरीना, जुडो हॉल, अत्याधुनिक जिम्नेजियम हॉल आदि सुविधाओं से परिपूर्ण है।

खेल किसी भी राज्य एवं राष्ट्र की शक्ति सम्पन्नता के सूचक हैं। स्पोर्ट्स कालेज में अवस्थापित आधुनिक एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के खेल सुविधाओं एवं वैज्ञानिक विधि से खेल प्रशिक्षण की सुविधाओं के माध्यम से खिलाड़ी छात्रों का सर्वांगीण विकास एवं व्यक्तित्व को नया आयाम दे रहे हैं तथा यहाँ के छात्र देश एवं विदेशों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज से प्रशिक्षण प्राप्त छात्र राज्य की ख्याति को लगातार बढ़ा रहे है।

आवश्यक सूचना

यह विवरण पत्रिका (प्रास्पैक्टस) रु० 100/– (रुपये एक सौ मात्र) का नकद भुगतान करके महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून, हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज, पिथौरागढ़ एवं समस्त जनपदों में स्थित जिला खेल एवं युवा कल्याण कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।

कक्षा–6 में प्रवेश हेतु बालक की आयु दिनांक 01.07.2019 को (1–7–2007 से पहले व 30–6–2009 के बाद) 10 वर्ष से कम व 12 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नोटः किन्हीं कारणवश यदि किसी उदीयमान खिलाड़ी बालक को प्रारम्भिक चयन ट्रायल्स में भाग लेने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है तो उन्हें संबंधित जनपद के जिला क्रीड़ाधिकारी से ट्रायल्स कराकर संस्तुति पत्र सहित मुख्य चयन परीक्षा से दो दिन पूर्व कालेज की चयन समिति द्वारा ट्रायल्स लेकर मुख्य चयन परीक्षा में सम्मलित होने का एक अवसर दिया जा सकता है।

महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी उत्तराखण्ड

1.	मा. खेल मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव / सचिव, खेल उत्तराखण्ड शासन	उपाध्यक्ष
3.	प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव / सचिव, शिक्षा उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5.	जिलाधिकारी देहरादून	सदस्य
6.	निदेशक, खेल उत्तराखण्ड	सदस्य
7.	निदेशक शिक्षा उत्तराखण्ड	सदस्य
8.	सुविख्यात खिलाड़ी (दो)	सदस्य
9.	विद्यालय से नामित व्यक्ति	सदस्य
10.	प्रधानाचार्य महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून	सदस्य / सचिव

महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज मैनेजमेंट बोर्ड उत्तराखण्ड

1.	प्रमुख सचिव / सचिव, खेल उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव / सचिव, शिक्षा उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4.	जिलाधिकारी देहरादून	सदस्य
5.	निदेशक, खेल उत्तराखण्ड	सदस्य
6.	निदेशक शिक्षा उत्तराखण्ड	सदस्य
7.	प्रधानाचार्य महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून	सदस्य / सचिव

महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी

वर्ष 2019–20

डॉ० धर्मेन्द्र भट्ट पी.एच.डी. (मनोविज्ञान) एशियन मेडलिस्ट एन.आई.एस. (बॉक्सिंग)	**प्रधानाचार्य / संयुक्त निदेशक खेल**

खेल प्रशिक्षण विधा

1.	श्री विनय कुमार सैनी बी.एससी., एम.फिल. (शारीरिक शिक्षा) एन.आई.एस. (क्रिकेट)	खेल अध्यापक (क्रिकेट)
2.	श्री प्रदीप कुमार कौशल एम.ए., बी.पी.एड एन.आई.एस. (वालीबॉल)	सहायक अध्यापक (वालीबॉल)
3.	श्री अनूप बिष्ट एम.कॉम., बी.पी.एड एन.आई.एस. (एथलेटिक्स)	उपक्रीड़ा अधिकारी / प्रशिक्षक
4.	श्री लोकेश कुमार एम.एस.सी., बी.पी.एड., एन.आई.एस. (एथलेटिक्स)	प्रशिक्षक (एथलेटिक्स)
5.	श्री सुरेश कुमार बौंठियाल बी.ए. एन.आई.एस. (हॉकी)	प्रशिक्षक (हॉकी)
6.	श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट बी.ए., एन.आई.एस. (फुटबॉल)	प्रशिक्षक (फुटबॉल)
7.	श्री पंकज रावत एम.पी.एड., एन.आई.एस. (हॉकी)	प्रशिक्षक (हॉकी)
8.	श्री हरप्रीत सिंह एम.ए., एन.आई.एस. (क्रिकेट)	प्रशिक्षक (क्रिकेट)
9.	श्री पवन कुमार पाल बी.एस-सी., एम.ए., बी.पी.एड. एन.आई.एस. (क्रिकेट)	प्रशिक्षक (क्रिकेट)
10.	श्री तरूण नेगी एम.पी.एड., एन.आई.एस. (फुटबॉल)	प्रशिक्षक (फुटबॉल)
11.	श्री ललित मोहन कुँवर बी.ए, एन.आई.एस. (बॉक्सिंग)	प्रशिक्षक (बॉक्सिंग)

12.	श्रीमती अजंनी नाबियाल एम.ए., बी.पी.एड., एन.आई.एस. (भारोत्तोलन)	प्रशिक्षक (फिजिकल कंडीशिनर)
13.	श्री रविन्द्र सिंह बी.पी.एड., एम.ए. शारीरिक शिक्षा एन.आई.एस. (बॉक्सिंग)	प्रशिक्षक (बॉक्सिंग)
14.	श्रीमती कनिका नेगी एम.ए. राष्ट्रीय खिलाड़ी (जूडो)	प्रशिक्षक (जूड़ो)

शिक्षण विधा

1.	डा. सत्यप्रकाश रावत एम.पी.एड., एम.फिल., पी.एच.डी. (शारीरिक शिक्षा)	समन्वयक
2.	श्रीमती मीना सिंह एम.ए., बी.एड.	प्रवक्ता (इतिहास)
3.	श्रीमती ममता कण्डारी एम.एस.सी., बी.एड.	स. अध्यापिका (विज्ञान)
4.	श्रीमती आरती उनियाल एम.ए., बी.एड.	स. अध्यापिका (सा०विषय)
5.	श्री प्रताप सिंह चौहान एम.ए., बी.एड.	स. अध्यापक (सा०विषय)
6.	डॉ. शांति जोशी पी.एच.डी., बी.एड.	स. अध्यापिका (हिन्दी)
7.	श्रीमती ममता बड़ोनी एम.ए., बी.एड.	स. अध्यापिका (अंग्रेजी)
8.	श्रीमती रंजना रावत एम.ए., बी.एड.	स. अध्यापिका (सा०विषय)
9.	श्रीमती नेहा पाण्डेय एम.ए., बी.एड.	स. अध्यापिका (अंग्रेजी)
10.	श्रीमती मीनू जुयाल एम.एस.सी., बी.एड.	स. अध्यापिका (गणित)
11.	श्रीमती आशा बिष्ट एम.ए., एम.सी.ए.	कम्प्यूटर अनुदेशक

कॉलेज स्टाफ

1.	श्री प्रदीप कुमार सिंह बी.ए., डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट	मैस मैनेजर
2.	श्री राजेन्द्र सिंह काम्बोज	सहायक लेखाकार
3.	श्री संजय रावत एम.ए. एम.पी.एड.	सहायक पी.टी.आई.
4.	श्री आशीष नेगी (डिप्लोमा इन फार्मा)	फार्मासिस्ट
5.	श्री राजेन्द्र सिंह (एम.लिब)	लाइब्रेरियन
6.	श्री महावीर सिंह	वाहन चालक
7.	श्री वीरेन्द्र बर्त्वाल	स्टोर कीपर
8.	श्री हेमन्त सिंह कण्डारी	कनिष्ठ सहायक
9.	श्री गजेन्द्र सिंह नेगी	अनुसेवक
10.	श्री महेश चन्द	माली

छात्रावास वार्डन

1.	श्री जगदीश पंवार	भूतपूर्व सैनिक
2.	श्री शीशपाल परमार	भूतपूर्व सैनिक
3.	श्री मधुसूदन पंत	भूतपूर्व सैनिक
4.	श्री धर्मवीर कुंवर,	भूतपूर्व सैनिक

ग्राउण्ड स्टॉफ

1. श्री रमेश सिंह पंवार
2. श्री सुखराम सिंह रावत
3. श्री वीरेन्द्र पाल
4. श्री रमेश शर्मा
5. श्री बुद्धि सिंह गुसाईं
6. श्री हरदेव नेगी
7. श्री अनिल खण्डूरी
8. श्री प्रदीप कुमार

परिचय :

उत्तराखण्ड राज्य में कक्षा–6 में 12 वर्ष तक की आयु के उदीयमान खिलाड़ी बालकों हेतु देहरादून में सभी सुविधाओं से युक्त आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की गई है। जिसके अन्तर्गत वर्तमान में दस खेलों–1. एथलेटिक्स, 2. फुटबाल, 3. वालीबॉल, 4. बॉक्सिंग, 5. क्रिकेट 6. हॉकी, 7. बैडमिंटन, 8. जूडो, 9. टेबल टेनिस, 10. निशानेबाजी में तकनीकि प्रशिक्षण के साथ–साथ उत्तराखण्ड राज्य विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम में कक्षा–6 से 12 वीं तक शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। यह कॉलेज देहरादून नगर से लगभग 10 कि.मी. दूर रायपुर ब्लॉक में थानो रोड पर स्थित है।

उद्देश्य :

उत्तराखण्ड राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को निर्धारित मापदंडों के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया के माध्यम से कॉलेज में प्रवेश दिलाकर उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराकर तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना है।

कैसे पहुँचे :

महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून :– रेलवे स्टेशन से 11 किमी, बस स्टैंड देहरादून (आई.एस.बी.टी.) से लगभग 16 किमी दूर रायपुर ब्लाक में थानो रोड पर स्थित है। रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड से घंटाघर तत्पश्चात् सिटी बस एवं टैम्पों द्वारा यहाँ पहुँचा जा सकता है।

प्रशासन :

कॉलेज का प्रशासन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के मैनेजमेंट बोर्ड में निहित है जिसके अध्यक्ष उत्तराखण्ड शासन के प्रमुख सचिव/सचिव खेल एवं प्रधानाचार्य महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज पदेन सदस्य सचिव है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्पोर्ट्स कॉलेज को अनुदान के रूप में बजट उपलब्ध कराया जाता है।

स्टाफ :

स्पोर्ट्स कॉलेज में राष्ट्रीय खेल संस्थान (एन.आई.एस) से प्रशिक्षित प्रशिक्षक निर्धारित खेलों में प्रशिक्षण हेतु नियुक्त है। शैक्षिक कार्य हेतु कॉलेज में योग्य एवं अनुभवी अध्यापक कार्यरत हैं। छात्रों की देखभाल के लिये चिकित्साधिकारी, वार्डन व स्टाफ की व्यवस्था है।

खेलकूद में प्रशिक्षण :

वर्तमान में एथलेटिक्स, फुटबॉल, वालीबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, जूडो, टेबल टेनिस एवं निशानेबाजी (बालक वर्ग)।

नोट :– खिलाड़ी छात्र किसी एक ही खेल में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है।

शिक्षा व्यवस्था :

महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित विषयों एवं पाठ्यक्रम में केवल हिन्दी माध्यम में कक्षा–6 से 12 तक कला वर्ग में शिक्षण की व्यवस्था है।

प्रवेश अर्हतायें :

1. प्रवेश केवल कक्षा 6 में ही प्रदान किया जायेगा।
2. प्रवेशार्थी उत्तराखण्ड प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
3. कक्षा–6 में प्रवेश हेतु बालक की आयु दिनांक 01.07.2019 को 10 वर्ष से कम व 12 वर्ष से अधिक न हो।
4. स्वस्थ शरीर एवं खेल के प्रति अभिरूचि।

चिकित्सा परीक्षण

मुख्य चयन परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी का चिकित्साधिकारी द्वारा चिकित्सा फिटनेस व आयु परीक्षण किया जायेगा। इसमें उपयुक्त पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को अन्तिम चयन हेतु योग्य समझा जायेगा।

प्रमाण पत्र :

(अ) प्रारंभिक एवं मुख्य चयन परीक्षा हेतु आवश्यक प्रपत्र

चयन परीक्षा में सम्मलित होने से पूर्व छात्र को फोटो सहित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

1. जन्मतिथि प्रमाण पत्र जो नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त हो।
2. कक्षा–6 में प्रवेश हेतु 5वीं पास का अंकपत्र/अध्ययनरत रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. मूल निवास/स्थाई निवास प्रमाण पत्र। (डोमेसाइल प्रमाणपत्र)

(आ) अन्तिम रूप से चयन की स्थिति में छात्र को कॉलेज में निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है :–

1. पूर्व विद्यालय द्वारा जारी किया गया छात्र का मूलरूप में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जो सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो तथा चरित्र प्रमाण पत्र।
2. डोमेसाइल सर्टीफिकेट(मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित अधिवास प्रमाण पत्र) मूलरूप में।
3. रु 100/– (रु एक सौ मात्र) के नान जुडीशियल स्टैम्प पेपर पर कॉलेज के साथ एग्रीमेन्ट बाण्ड लाना आवश्यक है।
4. प्रवेशार्थी की पासपोर्ट आकार की चार एक जैसी फोटो।
5. अभिभावक द्वारा छात्र का जीवन बीमा/मेडिकल बीमा करवाया जाना आवश्यक है। जिसका प्रमाण प्रत्येक वर्ष कॉलेज में देना होगा।

कॉलेज शुल्क (फीस) :

प्रत्येक छात्र से कक्षावार वार्षिक कॉलेज शुल्क निम्नवत् लिया जायेगा :–

कक्षा	वार्षिक शुल्क	कक्षा	वार्षिक शुल्क
6	रु० 2000.00	10	रु० 4000.00
7	रु० 2500.00	11	रु० 4500.00
8	रु० 3000.00	12	रु० 5000.00
9	रु० 3500.00		

काशन मनी :

अभिभावक को छात्र के प्रवेश के समय रु0 1000/– काशन मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य है। छात्र के अन्तिम रूप में कॉलेज छोड़ने पर कटौतियों के पश्चात इस मद की जो भी धनराशि शेष बचती है छात्र को वापस कर दी जायेगी। इससे पूर्व अभिभावक द्वारा छात्र को कॉलेज से हटा लेने पर काशन मनी जब्त कर ली जायेगी एवं उसे कटौतियों का भुगतान अलग से करना होगा। कॉलेज छात्रावास में छात्र द्वारा की गई टूट–फूट एवं वार्षिक सामान्य टूट–फूट (जनरल ब्रेकेज) की वसूली इस मद से करते हुए धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

विविध व्यय :

प्रत्येक छात्र को रु0 1500/– की धनराशि पूरे वर्ष हेतु विविध व्यय मद में जमा करनी होगी। जिसमें कपड़ा धुलाई, प्रेस, आदि पर खर्च की जायेगी, तथा रु0 2000/– की धनराशि पाकेटमनी के रूप में कॉलेज के खाते में जमा की जायेगी, जिससे बालक की मांग पर राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग व अन्य मासिक खर्चो हेतु प्रधानाचार्य की अनुमति के पश्चात बालक को उपलब्ध करायी जायेगी।

नोटः कॉलेज शुल्क की धनराशि एकमुश्त प्रवेश के समय सत्रारम्भ में बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा की जानी होगी। अभिभावकों को स्वयं ही समयानुसार फीस जमा करनी होगी। कॉलेज में एक साथ शिक्षा पा रहे दो भाईयों अथवा एक ही अभिभावक पर आश्रित पाल्यों की फीस में किसी प्रकार की कोई छूट प्रदान नहीं की जायेगी। नकद अथवा चैक द्वारा फीस स्वीकार नहीं की जायेगी। कॉलेज फीस बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही स्वीकार की जायेगी। **बैंक ड्राफ्ट, प्रधानाचार्य, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून के पक्ष में देय होगा।**

फीस, काशनमनी, विविध व्यय, पॉकेटमनी की कुल धनराशि अलग–अलग बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्रधानाचार्य महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून के पक्ष में देय होगी, जिसका विवरण प्रवेश पत्र में अंकित किया जायेगा।

छात्रवृति व फीस मॉफी :–

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्र द्वारा कॉलेज में जमा फीस प्रोत्साहन स्वरूप निम्न प्रकार से वापस की जायेगी।

1. प्रथम स्थान (गोल्ड मेडल) – शत् प्रतिशत।
2. द्वितीय स्थान (सिल्वर मेडल) – 66 प्रतिशत।
3. तृतीय स्थान (ब्राउन्ज मेडल) – 33 प्रतिशत।

साथ ही शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड द्वारा भी राष्ट्रीय विद्यालयी प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने पर खेल छात्रवृति दी जाती है। खेल विभाग उत्तराखण्ड द्वारा भी राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। खेल के साथ–साथ

व बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक अर्जित करने वाले छात्रों को कॉलेज द्वारा सम्मानित किया जाता है।

छात्र द्वारा कॉलेज छोड़ना एवं निष्कासन :

अभिभावक द्वारा छात्र को कॉलेज से हटाने हेतु आगामी सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व कॉलेज को सूचना देना अनिवार्य है। इस प्रकार की सूचना न दिये जाने की दशा में समस्त सिक्योरिटी जब्त की जा सकती है। इस के अतिरिक्त कॉलेज द्वारा सत्र में छात्र के शिक्षण एवं प्रशिक्षण पर किये गये समस्त व्यय की वसूली भी की जा सकती है।

कॉलेज एवं छात्रों के हित में प्रधानाचार्य निम्नलिखित कारणों से छात्र/छात्रों को भी निष्कासित कर सकते हैं। इस स्थिति में कॉलेज द्वारा सत्र में छात्र पर किये गये पूर्ण व्यय की वसूली उसके अभिभावक से की जा सकती है–

1. यदि छात्र कॉलेज के अनुशासन को नहीं मानता है या छात्र का व्यवहार/आचरण कॉलेज के कार्यालय/अध्यापकों/प्रशिक्षकों एवं छात्रों के साथ अभद्र है जिसके कारण उसका कॉलेज में रहना अन्य छात्रों के लिए अहितकर है तो अनुशासनहीनता के आधार पर छात्र को निष्कासित करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य का होगा।
2. छात्र पढ़ाई के निर्धारित मापदण्डों एवं स्तर तक नहीं पहुँचता है।
3. छात्र खेल के निर्धारित मापदण्डों एवं स्तर तक नहीं पहुंचता है।
4. उन सभी कारणों से जो कि प्रदेशीय शिक्षा सहिता में अंकित है।
5. छात्र के गम्भीर अस्वस्थता/चोटिल होने की स्थिति में भी कॉलेज से मुक्त किया जा सकता है।
6. स्पोर्ट्स कॉलेज में छात्र पूरे उत्तराखण्उ राज्य से चयनित होकर आते हैं अतः उन्हें तीन वर्ष के समयान्तराल में कम से कम अपनी आयु वर्ग की नेशनल प्रतियोगिता में उत्तम स्थान प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि कोई भी छात्र इस अवधि में अपने खेल में न्यूनतम स्तर की उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाता है एवं विशेषज्ञ समिति द्वारा भी सन्तोषजनक आख्या नहीं दी जाती है तो उसे कॉलेज में अगले सत्र से न रखने का भी निर्णय लिया जा सकता है।
7. खेल प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थिति 90 प्रतिशत होना अनिवार्य है अन्यथा उसे कॉलेज के अगले सत्र में न रखने का भी निर्णय लिया जा सकता है।
8. एक सत्र में किसी छात्र को तीन चेतावनी जारी होने पर अगले सत्र में न रखने का भी निर्णय लिया जा सकता है।
9. बिना सूचना लम्बी अवधि (10 दिन) तक लगातार अनुपस्थित रहने पर छात्र को निष्कासित करने का निर्णय लिया जा सकता है।
10. तीन वर्ष के प्रशिक्षण के पश्चात कक्षा–8 एवं 9, 10 व कक्षा–11 में छात्रों का वार्षिक मूल्यांकन कर यदि छात्र खेलों के निर्धारित मापदण्डों के स्तर तक नहीं

पहुंचता है और न ही उसके उदीयमान होने की संभावना विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की जाती है तो उसका निष्कासन किया जायेगा।

खेल/शैक्षिक मूल्यांकन तथा कक्षोन्नति :

छात्र की शैक्षिक तथा खेल प्रगति का मूल्यांकन मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं एवं उपस्थिति के आधार पर किया जायेगा तदानुसार ही छात्र को कक्षोन्नति प्रदान की जायेगी। सत्र की समाप्ति पर प्रत्येक छात्र का खेल विशेषज्ञ समिति द्वारा वार्षिक खेल मूल्यांकन किया जायेगा तथा इसमें अनुपयुक्त घोषित किये जाने पर छात्र के निष्कासन की संस्तुति की जायेगी। चाहे पूर्व में कोई चेतावनी जारी की है अथवा नहीं।

पुनः प्रवेश :

किसी भी कक्षा में (कक्षा 6 से 11 तक) अनुत्तीर्ण होने पर छात्र को निम्नांकित दशाओं में ही पुनः प्रवेश का केवल एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा :–

1. उपरोक्त कक्षाओं में शिक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को उसी कक्षा में पुनः प्रवेश तभी प्रदान किया जा सकता है जबकि वार्षिक खेल मूल्यांकन में समिति ने उसके खेल कौशल के आधार पर उसके उदीयमान होने की संभावना व्यक्त की हो या अनुत्तीर्ण होने का कारण राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता/शिविर में प्रतिभाग करने गया हो। अन्य किसी कारण पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. वार्षिक खेल मूल्यांकन में किसी कक्षा में छात्र के एक बार अनुत्तीर्ण होने पर उसे एक पुनः प्रवेश का अवसर तभी प्रदान किया जायेगा जब उसने उसी वर्ष में कक्षा में उत्तम प्रदर्शन/अंक प्राप्त किये हो व छात्र का आचरण उत्तम व छात्र अनुशासित हो। अनुशासनहीनता की एक भी घटना में वह छात्र शामिल न हो।
3. कक्षा–8, 9, 10 व कक्षा–11 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त भी विशेषज्ञ समिति द्वारा छात्र का गहन परीक्षण व विगत वर्षों का रिजल्ट व अनुशासन, खेल प्रगति, उपस्थिति आदि का आंकलन करने के उपरान्त संस्तुति के आधार पर ही आगे प्रवेश दिया जायेगा।

नोट: छः वर्षों में किसी कक्षा में पुनः प्रवेश हेतु सब कुछ सामान्य होने की स्थिति में छात्र को मात्र एक अवसर उपरोक्त दशा में ही प्रदान किया जायेगा, अन्यथा छात्र को कॉलेज छोड़ना होगा।

प्रगति पत्र :

छात्र के पूरे सत्र के कार्यकलाप खेल, शिक्षा, छात्र की कक्षाओं में उपस्थिति, छात्र के अनुशासन एवं प्रगति के विषय में अभिभावकों को सूचित किया जाता है।

शिक्षा का माध्यम :

शिक्षा का माध्यम हिन्दी है परन्तु हर सम्भव प्रयास किया जाता है कि छात्र अंग्रेजी भाषा बोलने एवं पढ़ने लिखने में भी अच्छे स्तर को प्राप्त कर सके।

पुस्तकालय एवं वाचनालय :

छात्रों के ज्ञानवर्द्धन हेतु कॉलेज में पुस्तकालय एवं वाचनालय है। जहां विभिन्न सामान्य विषयों तथा खेल से सम्बन्धित पुस्तकों, मैगजीन तथा समाचार–पत्रों की व्यवस्था है।

पाठ्य पुस्तकें एवं लेखन सामग्री :

समस्त छात्रों को पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री एवं अन्य पाठ्य सामग्री कॉलेज द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। छात्रों को प्रदान की गयी पुस्तकें कॉलेज की सम्पत्ति होंगी, जो कि छात्र को सत्र की समाप्ति पर पुस्तकालय में **वापस जमा करनी होगी। जमा न कराने की स्थिति में छात्र/अभिभावक द्वारा पाठ्य पुस्तकों का मूल्य कॉलेज में जमा करना होगा।**

पाठ्य सहगामी कार्यक्रम :

छात्रों में एक साथ रहने की भावना प्रेरित करने के उद्देश्य से अन्तर खेलों/कक्षाओं/अन्तर्हाउस प्रतियोगितायें, सांस्कृतिक कार्यक्रम व विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा भाषण आदि का भी आयोजन किया जाता है। छात्रों को पिकनिक एवं ज्ञानवर्द्धन आदि के उद्देश्य से ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थानों के भ्रमण की व्यवस्था भी की जाती है। छात्रों को स्वंय कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाता है ताकि वे परिश्रम का महत्व समझ सकें।

सामुदायिक रहन–सहन :

शिक्षण, खेल प्रशिक्षण के अतिरिक्त छात्रों को एक साथ रहकर अनुशासन, सद्व्यवहार एवं एक साथ कार्य करने की भावना हेतु प्रेरित किया जाता है। रविवार एवं अवकाश के दिन छात्रों से सामूहिक रूप से श्रमदान आदि कराया जा सकता है।

मनोरंजन :

छात्रों के मनोरंजन हेतु कॉलेज में टेलीवीजन, प्रोजेक्टर उपलब्ध है जिसमें छात्रों को खेल संबंधी ज्ञानवर्द्धन एवं मनोरंजक कार्यक्रम समयानुसार दिखाये जाते है।

चिकित्सा सुविधा :

स्पोर्ट्स कॉलेज में एक स्वास्थ्य केन्द्र एवं संविदा सेवा पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से चिकित्साधिकारी नियुक्त है। गम्भीर रूप से बीमार होने पर छात्रों को मेडिकल कॉलेज या सरकारी अस्पताल भेजकर उनके अभिभावक को सूचित कर दिया जाता है।

मैस :

स्पोर्ट्स कॉलेज की अपनी मैस है जहाँ पर समस्त छात्रों हेतु एक साथ बैठकर भोजन करने की व्यवस्था है। सभी छात्र अपने खेल अध्यापक, खेल प्रशिक्षक, मैस

मैनेजर एवं वार्डन की देख रेख में भोजन ग्रहण करते है। सामिष एवं निरामिष दोनों प्रकार का भोजन दिया जाता है। अध्यापक खेल, प्रशिक्षक, चिकित्साधिकारी, अध्यापक, मैस मैनेजर, वार्डन व छात्र, द्वारा बनाये गये मीनू में इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि प्रत्येक खिलाड़ी को कैलोरीज युक्त भोजन दिया जाये और साथ ही भोजन स्वादिष्ट भी हो। भोजन कैलोरीज की जाँच समय–समय पर डाईटीशियन/चिकित्साधिकारी/कॉलेज प्रशासन द्वारा की जाती है।

दिनचर्या :

छात्रों की दिनचर्या प्रातः काल से प्रारम्भ होती है जो पी.टी., योगासन, फिजिकल कन्डीशनिंग, खेल प्रशिक्षण, पढ़ाई एवं अध्ययन आदि के साथ रात्रि में समाप्त होती है। छात्रों को एक कठोर दिनचर्या का पालन करना पड़ता है फिर भी प्रयत्न किया जाता है कि उन्हें अपनी अन्य रूचियों के लिए भी समय मिल जाये।

निःशुल्क सुविधायें :

सन्तुलित भोजन, आवास, खेल का सामान–किट्स, कॉलेज यूनीफार्म, पाठ्य–पुस्तकें एवं लेखन–सामग्री, पुस्तकालय तथा चिकित्सा सहायता आदि।

प्रत्येक छात्र के लिए यह आवश्यक होगा कि अपनी धार्मिक पूजा अर्चना विद्यालय परिसर के अंदर रहकर ही अपने व्यक्तिगत स्तर पर ही करे इसके लिए परिसर से बाहर जाना वर्जित होगा।

महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून के बालकों के कक्षावार बैटरी टेस्ट के मानक

1. प्रारम्भिक चयन परीक्षा कक्षा–6 में केवल पाँच बैटरी टेस्ट लिए जायेंगे (60 मी० दौड़, स्टैन्डिंग ब्राड जम्प, 6 x 10 शटल रन, बॉल थ्रो 400 ग्राम, 800 मी० दौड़)। 2. मुख्य चयन परीक्षा में निम्न तालिका के अनुसार समस्त बैटरी टेस्ट लिए जायेंगे। बैटरी टेस्ट के साथ–साथ खेलवार, खेल कौशल/प्रदर्शन/तकनीकी आदि का मूल्यांकन लिया जायेगा।

कक्षा–6

क्र. सं.	60 मी० दौड़ (सेकण्ड)	स्टैंन्डिग ब्राड जम्प (मी०/सेमी०)	6 x 10 शटल रन (सेकण्ड)	बॉल थ्रो 400 ग्राम (मी०/सेमी०)	फारवर्ड बैण्ड रिंच (FBR) सेमी०	800 मी० दौड़ (मिनट/सेकण्ड)	प्राप्त अंक
1.	10.10–9.71	1.75–1.85	17.00–16.51	4.50–5.00	3–5	3:10–3:01	01
2.	9.70–9.31	1.86–1.95	16.50–16.01	5.01–5.50	6–8	3:00–2:51	02
3.	9.30–8.91	1.96–2.05	16.00–15.51	5.51–6.00	9–11	2:50–2:41	03
4.	8.90–8.51	2.06–2.15	15.50–15.01	6.01–6.50	12–14	2:40–2:31	04
5.	8.50–और इससे कम	2.16–और इससे अधिक	15.00–और इससे कम	6.51–और इससे अधिक	15–और इससे अधिक	2:30–और इससे कम	05

शपथ पत्र

महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में मेरे पुत्र/अभिभावी.. का कक्षा ....खेल ....में खेल प्रशिक्षण हेतु प्रवेश दिया गया है। प्रवेश हेतु मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी प्रमाण पत्र सत्य है। सभी अथवा कोई एक अथवा अधिक के असत्य होने पर मैं उत्तरदायी होऊँगा। ऐसी स्थिति में मेरे पुत्र/अभिभावी का प्रवेश रद्द करने एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार कॉलेज के प्रधानाचार्य को होगा।

दिनांक.......................................   हस्ताक्षर....................................

नाम..

छात्र से सम्बन्ध...

पूरा पता...

नोट :— छात्र के अभिभावक को नोटरी द्वारा सत्यापित रु0 10/— जनरल स्टैम्प

महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में प्रवेश पाने वाले छात्रों के अभिभावकों हेतु विशेष सूचना

1. कॉलेज प्रशासन की सहायता एवं छात्र में अनुशासन बनाये रखने में आपका सहयोग अपेक्षित है।
2. कृपया कॉलेज द्वारा भेजी गयी सभी सूचनाओं एवं पत्रों पर तत्परता से कार्यवाही करें।
3. छात्रों के लिये अनावश्यक रूप से सत्र के दौरान अवकाश हेतु प्रार्थना न दें। इससे उसकी पढ़ाई एवं प्रशिक्षण में बाधा पड़ती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभिभावक की होगी।
4. अभिभावक छात्र से प्रत्येक रविवार को प्रातः 9:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक ही मिल सकते है।
5. छात्र हेतु कृपया मिठाई या अन्य कोई खाद्य पदार्थ न भेजें।
6. छात्रों को कीमती व अनावश्यक कपड़े एवं सामग्री जैसे घड़ी, कैमरा, मोबाईल फोन, सोने की चेन आदि न दें। **कॉलेज में मोबाईल फोन रखना सख्त मना है तथा यह अनुशासनहीनता का कार्य माना जाता है।**
7. छात्र को अवकाश के उपरान्त समय से कॉलेज भेज दें अन्यथा छात्र को आर्थिक दण्ड भी दिया जा सकता है।
8. छात्र के बीमार होने पर यदि कॉलेज प्रशासन आवश्यक समझे तो अभिभावक को सूचना भेजी जायेगी।
9. छात्र की किसी समस्या के समाधान हेतु कृपया प्रधानाचार्य/प्रभारी खेल/प्रभारी शिक्षा/वार्डन से सम्पर्क करें।
10. बिना अवकाश स्वीकृति या अनुमति के शिक्षण कक्षाओं, अथवा खेल प्रशिक्षण एवं कॉलेज से अनुपस्थित रहना गंभीर अनुशासनहीनता है जिसके लिये छात्र को कॉलेज से निष्कासित किया जा सकता है।

सत्र अवकाश की समाप्ति पर कॉलेज खुलने के दिवस छात्र को अभिभावकों के साथ कॉलेज आना अनिवार्य है इन दिवसों पर प्रशिक्षिक/अध्यापक–अभिभावक संघ की बैठक आयोजित की जायेगी, जिसमें अभिभावक का उपस्थित होना अनिवार्य है।

अभिभावकों द्वारा छात्रों को दिये जाने वाले कपड़े/किट तथा सामग्री की सूची

1.	अण्डरवियर	5
2.	बनियान	5
3.	नेकर	2
4.	चादर	2
5.	बैड कवर	2
6.	तौलिया	3
7.	चप्पल	1 जोड़ा
8.	ऊनी स्वेटर (ग्रे)	1
9.	स्पोर्ट्स नेकर (ब्लैक)	2
10.	स्पोर्ट्स टी शर्ट (लाल / रॉयल ब्लू)	2
11.	रजाई, गद्दा, तकिया	प्रत्येक 1
12.	बाल्टी छोटी व मग	प्रत्येक 1
13.	स्पोर्ट्स शूज / रनिंग शूज	1 जोड़ा
14.	ब्लैक स्कूल शू, व ग्रे सॉक्स	1 जोड़ा
15.	ट्रैक सूट (नेवी ब्लू, लाल पट्टी)	1 अदद
16.	मच्छरदानी	1
17.	कॉलेज यूनिफार्म (पैंट, शर्ट, ग्रे स्वेटर, ब्लू ब्लेज़र, ब्लू टाई) कॉलेज द्वारा निर्धारित कलर अनुसार (स्काई ब्लू शर्ट व डार्क ग्रे पैंट)	1

आवश्यकतानुसार ब्रश, बूट पॉलिश, कोट ब्रुश, टूथपेस्ट और टूथब्रश, तेल, कंघा, छोटा शीशा, नेल कटर, सूई, धागा, बटन, साबुन, साबुनदानी सहित कपड़े धोने का साबुन, टार्च सेल सहित, दो पेन, दो पेंसिल, सूटकेस अथवा संदूक, बिस्तर बंद एवं छाता / रेन कोट भी अभिभावक द्वारा ही दिया जाना है।

अभिभावक/छात्र के संरक्षक द्वारा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, देहरादून में निष्पादित अनुबंध पत्र

यह अनुबन्ध ...., 2019 को .... के मध्य निष्पादित किया गया जिसमें उनके वारिसान, स्थानापन्न, हित प्रतिनिधि, विधिक प्रतिनिधि प्रथमपक्ष है एवं उत्तराखण्ड स्पोर्ट्स कालेज सोसाइटी (जिसे यहां सोसाइटी कहा गया है) में इनके विधिक वारिसन हित प्रतिनिधि शामिल हैं)

विदित हो कि .... पुत्र .... (जिसे यहां छात्र सम्बोधित किया गया है) जमानती का पुत्र है और जमानती के निवेदन पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, देहरादून में दाखिला हेतु चुना गया है जो यहां वर्णित विशेष रूप से नियम और शर्तो के आधार पर खेलकूद को जीवन में व्यवसायिक रूप से लेने पर इंटरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से चुना गया है।

अतः पक्षकारों में निम्न शर्ते तय पायी गयी है–

1. छात्र के विश्वास पर जमानती के निवेदन पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स द्वारा इस पर विचार किया जायेगा। जमानती सोसाइटी को आश्वस्त करायेगा कि छात्र कालेज के खेलकूद में नियमित रूप से भाग लेगा तथा सभी नियम एवं शर्तो का पालन भली भांति करेगा तथा उसे मान्य होगा जब तक कि वह दाखिले के लिये अनुपयुक्त न किया जाये। जमानती सोसाइटी को शुल्क नियमित तौर पर देता रहेगा, जब भी देय हेतु उसे कहा जायेगा।
2. यह कि दाखिले के पश्चात जमानती द्वारा प्रस्तुत किये गये कागज, निवास प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, स्कूल प्रमाणपत्र, चरित्र प्रमाणपत्र, चिकित्सीय प्रमाणपत्र आदि फर्जी पाया गया या उपयुक्त न पाया गया तो जितनी अवधि तक छात्र कालेज में रहा उसकी फीस जमानत राशि एवं अन्य देय के भुगतान की जिम्मेदारी जमानती की होगी।
3. यह कि दाखिले के पश्चात् चिकित्सीय बोर्ड द्वारा यह पाया गया कि छात्र चिकित्सीय परिक्षण में पूर्ण स्वस्थ नही है तब उक्त छात्र का दाखिला निरस्त कर दिया जायेगा।
4. यह कि छात्र को उसके कालेज में निवास के दौरान अथवा खेल प्रशिक्षण के दौरान या किसी खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के दौरान यदि उसे गंभीर चोटे आयी है तो उसकी जिम्मेदारी सोसाइटी की नहीं होगी एवं ऐसे छात्र की चिकित्सीय खर्चे की जिम्मेदारी जमानती की होगी।
5. यह कि यदि प्रधानाचार्य को यह लगे कि (क) छात्र कालेज द्वारा निर्धारित अनुशासन का अनुपालन नहीं कर रहा है (ख) छात्र कालेज के शैक्षिक स्तर के अनुसार नहीं है (ग) खेलों में कॉलेज द्वारा निर्धारित मापदण्डों के स्तर तक छात्र प्रगति नहीं कर रहा है तो प्रधानाचार्य संस्था के हित में ऐसे छात्र को कालेज से निष्कासित कर सकता है।
6. यह कि यदि कोई छात्र स्वेच्छा से कालेज छोड़ता है या अनुशासनहीनता के कारण कालेज से निकाला जाता है तो प्रधानाचार्य को यह अधिकार होगा कि वह जमानती से छात्र के सत्र में हुआ खर्चा मांग सकता है।
7. यह कि और अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह सचिव खेल विभाग उत्तराखण्ड शासन को मध्यस्थ बनाकर सुलझाया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।
8. इस अनुबन्ध पर स्टाम्प शुल्क जमानती द्वारा देय होगा तथा साक्ष्यों के समक्ष पक्षकारों ने अपने अपने हस्ताक्षर आज .... दिन .... उपरोक्त को कर दिये हैं।

हस्ताक्षर

द्वारा
महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज सोसाइटी
देहरादून

साक्षी

Agreement Form to be executed byParents/Guardian of Student at Maharana Pratap Sports College, Dehradun

The Agreement made this .... day of …………… 20............... between ………………………… of shall unless excluded by the context to be deemed to include his heirs, executors administrators and Legal representatives on the one part and uttarakhand Sports college Society (hereinafter called
the society) which expression shall unless excluded by the context to be deemed to include its successor and assignees on the other part.

Where as…………………………………………… son of ……………………… (Hereinafter called the Student) is son/ward of the guarantor and has at the request of the guarantor been selected for admission to Maharana Pratap Sports College, Dehradun on the terms and conditions hereinafter appearing for the purpose for receiving education up to intermediate education with special emphasis on sports and games with a view to choosing his own profession in life.

Now it is hereby agreed by and between the parties as follows:

1. That the consideration of the students being admitted by the society to the Maharana Pratap Sports College, Dehradun for the purpose of the afore said education at the request of the guarantor. The guarantor convenient with the society that the student will attend the sports college regularly and will observe and comply with all the rules and regulations there of the prescribed period until he is declared fit for admission to any institution as may from time be approved by the society and that he, the guarantor, shall pay to the society regularly and promptly and whenever called upon to do so all the fees as prescribed.
2. That if after admission any document regarding proof of domicile, certificate of age, school leaving certificate, medical certificate etc by the guarantor it found to be false in any way of not in order. The boy will be remained from the college all fees, security deposit and expenses in coursed for the duration will be paid by parents/guardians.
3. That if after admission, the student is found to be medically unfit in any way at any time which might according to the opinion of the appropriate medical authorities render him unfit for pursuing his training at the college the student will be withdrawn at once.

4. That society will not be liable for any damage/charge on account of injuries fatal or otherwise which may be sustained by the student at any time during his stay in the college while taking part in sports/extra curricular of any other form of activities of college within or outside the college premises. All expenses that may incurred on the treatment if such injuries will be born by the parent/guardian as provided in the rules of the said college.
5. That the principal can in the interest of the college remove the student if in the principals opinion- (I) The student has failed to accept the discipline of the college and his continued presence is detrimental to the interest of college other students. (II) The student fails to come up to the academic standard to his class and Game.
6. In case the boy is removed from the college on account of indiscipline and leaves the college on his own accord without proper authentic proof. The Principal may ask the parent/guardian to pay all the expenses incurred on the boy during the session.
7. And that if there is any dispute as to the effect or meaning of these presents or in any way touching or arising out of these present the same shall be referred to the sole arbitration of the secretary to government of Uttarakhand sports department, whose decision shall be final.
8. The stamp duty on his agreement shall be borne by the guarantor. In witness where of the parties here to have set their hands on the day and the year first above written.

Signed by
In the presence of

Signed by
for and on behalf of
The Maharana Pratap Sports College
Society in the presence of

Note :- Not to be typed on bond paper

a. The signature of guarantor is to be witnessed by any Government servant of gazetted status or any teacher of the college who knows the guarantor well. In case the guarantor is other than father then he has to annexe a certificate from a gazetted Govt. servants stating there is in the reasons as to why the father is not guarantor and in what capacity he has been acting as guarantor.
b. The space provided for the date in the first para of the agreement form should not be filled in by the guarantor. This will be filled in on the date on which the agreement will be signed by the parties.

प्रारम्भिक चयन ट्रायल्स हेतु निर्धारित चयन स्थलों एवं तिथियाँ की सूची

2019—20

क्र. सं.	केन्द्र	चयन स्थल	तिथि	समय	क्र. सं.	केन्द्र	चयन स्थल	तिथि	समय
	प्रथम चरण					**प्रथम चरण**			
1.	काशीपुर	स्पोर्ट्स स्टेडियम	24.03.2019	प्रातः 9 बजे से	1.	पुरोला	रा.इ.कॉ. पुरोला	24.03.2019	प्रातः 9 बजे से
2.	रुद्रपुर	स्पोर्ट्स स्टेडियम	25.03.2019	–तदैव–	2.	उत्तरकाशी	स्पोर्ट्स स्टेडियम	25.03.2019	प्रातः 9 बजे से
3.	टनकपुर	स्पोर्ट्स स्टेडियम	26.03.2019	–तदैव–	3.	नई टिहरी	घण्टाघर स्टेडियम	26.03.2019	प्रातः 9 बजे से
4.	चम्पावत	स्पोर्ट्स स्टेडियम	27.03.2019	–तदैव–	4.	अगस्त्यमुनि	स्पोर्ट्स स्टेडियम	27.03.2019	प्रातः 9 बजे से
5.	पिथौरागढ़	स्पोर्ट्स स्टेडियम	28.03.2019	–तदैव–	5.	गौचर	मेला मैदान	27.03.2019	सायं 3 बजे से
6.	डीडीहाट	रा.इ.कॉ. डीडीहाट	29.03.2019	–तदैव–	6.	गोपेश्वर	स्पोर्ट्स स्टेडियम	28.03.2019	प्रातः 9 बजे से
7.	बागेश्वर	रा.मा.वि. मैदान	30.03.2019	–तदैव–	7.	पौड़ी	स्पोर्ट्स स्टेडियम	29.03.2019	प्रातः 9 बजे से
						द्वितीय चरण			
8.	चौखुटिया	भाखली मैदान	31.03.2019	–तदैव–	1.	ऋषिकेश	आई.डी.पी.एल.	31.03.2019	प्रातः 9 बजे से
9.	अल्मोड़ा	स्पोर्ट्स स्टेडियम	01.04.2019	–तदैव–	2.	हरिद्वार	भल्ला इ. कॉलेज	01.04.2019	प्रातः 9 बजे से
10.	हल्द्वानी	स्पोर्ट्स स्टेडियम	02.04.2019	–तदैव–	3.	विकासनगर	आशाराम वैदिक इ. कॉलेज ग्राउण्ड	02.04.2019	प्रातः 9 बजे से
11.	रामनगर	रा.महा.वि. मैदान	03.04.2019	–तदैव–					
12.	कोटद्वार	स्पोर्ट्स स्टेडियम	04.04.2019	–तदैव–	4.	देहरादून	पवेलियन ग्राउण्ड	03.04.2019	प्रातः 9 बजे से
1.	देहरादून	महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज	04.04.2019	प्रातः 9.00 बजे	बैडमिन्टन, टेबल टेनिस, शूटिंग व जूडो से सम्बन्धित प्रारम्भिक ट्रायल लिए जायेंगे। इन खेलों के ट्रायल्स अन्य चयन स्थलों पर नहीं लिए जायेंगे।				

फाइनल चयन स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में निम्न तिथियों को आयोजित होंगे :

1. क्रिकेट / शूटिंग / टेबल टेनिस — 7 व 8 अप्रैल, 2019
2. एथलेटिक्स / फुटबाल — 9 व 10 अप्रैल, 2019
3. हॉकी / वालीबाल — 11 व 12 अप्रैल, 2019
4. बॉक्सिंग / बैडमिन्टन / जूड़ो — 13 व 14 अप्रैल, 2019

नियत तिथि को चयन ट्रायल्स प्रातः 6:30 बजे प्रारम्भ हो जायेंगे।

निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व सांय 5.00 बजे तक अंतिम चयन ट्रायल में चयनित छात्र को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।